

भारत सरकार / GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क - जयपुर

OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR

मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर- 302005 (राज.)

HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

फोन न. : 0141- 2385359

स्थापना शाखा

फैक्स नं. : 0141- 2385222

स्थापना आदेश संख्या - 23 / 2020

दिनांक : 10.09.2020

मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 73/2020 दिनांक 21.08.2020 एवं 79/2020 दिनांक 08.09.2020 की अनुपालना में निम्नलिखित निरीक्षकों को उनके नाम के आगे दर्शाये स्थान अनुसार स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाता है :-

S.NO.	NAME OF THE OFFICER (SHRI/SMT/MS.)	FROM	TO
1.	Ramsnehi Jat	CCO, Jaipur	AE, CGST, Jaipur
2.	Bimal Kumar Choudhary	CCO, Jaipur	Division-A, Jaipur

उक्त आदेश श्रीमान् आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

Note:-

1. The Deputy / Assistant Commissioner should ensure proper handing over/taking over of the charge. List of all urgent and time bound matters be prepared and handed over to controlling officer and officers taking over the charge.
2. The Deputy/Assistant Commissioner are directed that while issuing orders for specific charge the Transfer policy guidelines 2018 as amended, and HOP of the officers should be kept in mind so as the ensure proper rotation, as per sensitive & nonsensitive norms etc. as rescribed by the instructions issued by CVC/CVO.
3. The Deputy / Assistant Commissioner are directed to take prior approval before issuing order of charge allocation from the supervisory Additional / Joint Commissioner.

M. Anshu
10/9/20

(मंजूर अली अंसारी)

अपर आयुक्त (का. एवं सत.)

फा.सं.: II-03(03)स्था./जेपीआर/निरी./2019/ पार्ट 2346

दिनांक : 10.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर।
3. संयुक्त आयुक्त (सीसीओ), सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
4. निजी सचिव, अपर आयुक्त(कर अप./तक.), सी.जी.एस.टी. एवं उ. शु., जयपुर।
5. अपर/संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. आयुक्तालय, जयपुर/उदयपुर/अलवर/अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर/अपील्स, आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
6. उप/सहायक आयुक्त, के.व. एवं सेवाकर एवं उ. शु., संभाग-A से I जयपुर एवं J से K अजमेर।
7. प्रशासनिक अधिकारी/अधीक्षक, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, संभाग-A से I जयपुर एवं J से K अजमेर।
8. महासचिव, निरीक्षण संघ, जयपुर।
9. व्यक्तिगत प्रति/सेवापुस्तिका/गार्ड फाइल।
10. विभागीय वेबसाईट www.centralexcisejaipur.nic.in पर अपलोड हेतु।

M. Anshu
10/9/20

अपर आयुक्त (का. एवं सत.)

नि.
10/9/20